CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 234 ▫ रायपुर, बुधवार 16 सितंबर 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

स्टेट जीएसटी ने रद्द की 42 निरीक्षकों की भर्ती

हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर

रायपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। राज्य कर जीएसटी विभाग ने 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की भर्ती को रद्द करते हुए उनके मूल पद पर पदावनत कर पदस्थ किया है. यह आदेश राज्यकर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा जारी की गई है. भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के साथ विभाग ने आसन्न न्यायालयीन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर कर दिया है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सन् 2021 और सन् 2022 में सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से 42 लिपिकों की पदोन्नति वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर की गई थी. भर्ती में लेन-देन के मामले सामने आए थे, जिसकी जाँच लंबे समय से की जा रही थी. इस संबंध में अनेकों बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी प्रश्न उठाए गए थे. कुछ कर्मचारियों द्वारा इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, जिसकी जाँच आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा द्वारा समिति गठित कर कराई गई। जाँच समिति द्वारा पाया गया कि सीमित भर्ती परीक्षा में भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई है. दोनों वर्षों की परीक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित किए सीधे चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था. उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर अंक बढ़ा कर चयन किया गया. सभी चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों के समान उत्तर लिखे गए जाँच में पाए गए. इससे परीक्षा की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठा चयन निष्पक्ष नहीं था। भर्ती परीक्षा की चयन समिति में तत्कालीन अपर आयुक्त कल्पना तिवारी, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त वर्तमान अपर आयुक्त टीआर धुर्वे और सहायक आयुक्त रौशन सिंह थे. तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई द्वारा इस भर्ती को अंजाम दिया गया था, जिसमें बड़ी राशि के लेनदेन की शिकायत की गई थी।

चयन सूची जारी होने के तुरंत बाद अनेक अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति और रिजल्ट की सूची की माँग सूचना के अधिकार के तहत की गई मामले को छुपाने के लिए जनसूचना अधिकारी और अपीलीय जनसूचना अधिकारियों को तत्काल हटाया गया, और चयन समिति के अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी और अपीलीय जन सूचना का प्रभार दिया गया।

जाँच में यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को निर्धारित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए थे, उन्हें लाभ देने के लिए अर्हतातिथि में परिवर्तन किया गया. कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, जो 10 साल पहले भृत्य के पद पर भर्ती हुए थे. पाँच वर्ष की सेवा अवधि के बाद निम्न श्रेणी लिपिक में उनकी पदोन्नति हुई और पाँच वर्ष के बाद निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जाँच समिति के समक्ष चयन समिति द्वारा यह स्वीकार किया गया कि परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बिना शील्ड किये हुए सीधे तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई द्वारा स्वयं पहुँचाए गए थे. यहाँ तक कि परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की उपस्थिति का रिकार्ड भी जाँच समिति को उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे. चयनित हुए अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच पर पाया गया कि गलत उत्तर पर भी अंक दिए गए हैं, और मॉडल आंसर के अनुसार हु-ब-हू उत्तर लिखे गए हैं. चयनित अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रणेता डॉ खूबचंद बघेल की जीवनी पर निबंध एक समान लिखा है. इससे स्पष्ट हो गया कि चयनित अभ्यर्थि तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई और चयन समिति के सदस्यों से मिलीभगत कर चयनित हुए थे.

42 जीएसटी निरीक्षक, जिनकी भर्ती हुई रद्द

2021 भर्ती वाले- *आकाश त्रिपाठी, दिव्य प्रकाश वर्मा, भरत लाल साहू, ओम नारायण बघेल, संतु राम सलाम, नीरज श्रीवास्तव, अमित हुमने, भूषण कुर्रे, तोमन लाल भुआर्या, यज्ञेश दीवान, पुष्पेंद्र करश, विधान रंजन कुल्लू, युगल किशोर साहू, मलिक राम बांधे, लाल साय राम, गो शिवेंद्र टांडे, सत्य नारायण नेताम, मोनिका दीवान, जितेंद्र नेताम, दुरूपरसाय मांझी, अनिल कुमार जांगड़े*

2022 भर्ती वाले- *सुरेश कुमार गुप्ता, प्रभात चन्द्र तिवारी, अजय कौशिक, हितेश कुमार दुबे, दीपा उधवानी, रितु सोनकर, दीपेश कुमार साहू, गायत्री सिन्हा, गजेंद्र कुमार तिवारी, ओम प्रकाश साहू, मनीष चेलक, ताम्रध्वज साहू, नंदनी साहू, दीपक तुरियाकर, अमर सिंह कंवर, उदयराम ध्रुव, रमेश कुमार धृतलहरे, दीप्ति मरकाम, चंद्रकांत ठाकुर, दीपक कुजूर, राकेश कुमार मिंज।*

कुकी महिलाओं की हत्या से मणिपुर में तनाव, उग्रवादियों ने रातभर की गोलीबारी

दो घर फूंके, सीआरपीएफ हुई तैनात

नई दिल्ली, 16 सितंबर (न्यूज चैनल)। संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले के एक पहाड़ी गांव पर हमला किया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी के दौरान कम से कम दो घर जला दिए। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। एक अधिकारी ने बताया कि आधुनिक हथियारों से लैस बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने मंगलवार रात करीब 10.30 बजे चावांगकिनिंग नागा गांव पर हमला किया। यह हमला तमेंगलोंग जिले के लेइसंगफाई में दो कुकी महिलाओं की गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ। उन्होंने बताया कि पास के इलाके में तैनात सीआरपीएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा, बुधवार सुबह 4.30 बजे तक करीब छह घंटे तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। सीआरपीएफ ने जवाबी फायरिंग की और उग्रवादियों को गांव में घुसने से रोका। उन्होंने बताया कि हालांकि, गांव की सीमा पर बने लकड़ी के दो घर जल गए।

गांव के रहने वाले डेनियल चारेनामाई ने कहा, हमारे गांव पर रात करीब 10.30 बजे हमला हुआ और सुबह 4 बजे तक गोलीबारी जारी रही। हमारे गांव में तैनात सीआरपीएफ ने जवाबी फायरिंग की और गांव पर कब्जा होने से बचाया। वरिष्ठ नागा नेता और नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक अवांगबोउ न्यूमाई ने बुधवार को चावांगकिनिंग में दो महिलाओं की हत्या और घरों को जलाए जाने की निंदा की। न्यूमाई ने एक बयान में कहा, इस तरह की बर्बर और बेमतलब की हरकतें किसी भी समुदाय के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं लाएंगी।

ब्रेकिंग न्यूज

जबलपुर हाईकोर्ट का फैसलाः फायरिंग व मारपीट मामले में जेल में बंद धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत

नई दिल्ली, 16 सितंबर (न्यूज चैनल)। फायरिंग और मारपीट के आरोप में जेल में बंद बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री उर्फ छोटे सरकार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने उन्हें जमानत दे दी है। छतरपुर जिले के थाना गढ़ा थाना क्षेत्र में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री उर्फ छोटे सरकार के खिलाफ गाली-गलौज, लाठी से मारपीट और गोली चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में नियमित जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में तर्क दिया गया कि राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है।

झीरम हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट आज शाम दोषियों को सुनाएगी सजा

जगदलपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। बहुचर्चित झीरम हत्याकांड मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने एनआईए कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रख चुके हैं। 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में आने वाले इस मामले में एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत आज शाम 4.30 बजे सजा सुनाएंगे। इस जघन्य हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आरोपियों को क्या सजा मिलती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि झीरम हत्याकांड में 27 लोगों की जान गई थी, जिनमें राजनीतिक नेता, सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक शामिल थे। अभियोजन के मुताबिक यह हमला अचानक नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र, रेकी और योजना के तहत किया गया था। जानबूझकर गोली चलाई गई और हमले में घायल लोगों तथा उनके परिवारों को भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ा।

भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज, भारत ने पाक राजनियक को किया तलब

नई दिल्ली, 16 सितंबर (न्यूज चैनल)। अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के भीतर भारतीय नौसेना के एक जहाज और पाकिस्तानी नौसेना के पोत की टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत के मुताबिक घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 के विपरीत था। भारत ने इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी प्रभारी राजनयिक को बुधवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों तक भारत की कड़ी आपत्ति पहुंचाने को कहा गया। भारत ने स्पष्ट किया कि समुद्र में सभी सैन्य इकाइयों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।

विदेश मंत्रालय ने कहा, %सीडीए को आज विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को लेकर उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया, जिसके कारण भारतीय नौसेना की एक इकाई से टक्कर हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हालांकि, टक्कर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही के लिए अग्रिम सूचना देने संबंधी समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधे तौर पर उल्लंघन था। भारत ने इस मामले को केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रखा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित भारत के प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

पवित्र मुस्लिम शहर मक्का में मिसाइल-ड्रोन से हमलाः सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों का कोहराम, एयर डिफेंस एक्टिव, इमरजेंसी अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 16 सितंबर (न्यूज चैनल)। अमेरिका और ईरान के बाद अब सऊदी अरब और यमन अब मिडिल ईस्ट की जंग के केंद्र बन गए हैं। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई विध्वंसक मोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि इस लड़ाई में हूती विद्रोही सऊदी अरब को करारी टक्कर दे रहे हैं। सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों ने कोहराम मचाकर रख दिया है। हूती विद्रोहियों ने पवित्र मुस्लिम शहर मक्का में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को आसमान में ही मार गिराया। मक्का में मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया है। जबकि पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है।

इससे पहले 27 जुलाई 2017 को हूती विद्रोहियों ने मक्का की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। लेकिन मिसाइल को मक्का से करीब 69 किलोमीटर दूर अल-वसिलिया इलाके में नष्ट कर दिया गया था। सऊदी सिविल डिफेंस ने कहा कि ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। खतरे को देखते हुए मक्का शहर में चेतावनी जारी की गई है। सभी से अपील है कि वे बताए गए सभी निर्देशों को मानें। शांति रहें और निर्देशों का पालन करें। लोगों से ऊंची इमारतों से दूर रहने की अपील की गई। लोगों से किसी घटना की वीडियो या फोटो नहीं बनाने की अपील की है।

वहीं यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को कहा कि उसने विद्रोहियों के एक ड्रोन को मार गिराया है, जो मक्का की ओर बढ़ रहा था। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने 'ङ्ग' पर एक बयान पोस्ट किया। इसमें कहा गया, रॉयल सऊदी एयर डिफेंस फोर्सेज ने आतंकवादी हूती मिलिशिया द्वारा लॉन्च किए गए एक दुश्मन ड्रोन को 'मक्का अल-मुकर्रमा' (मक्का का एक और नाम) के पवित्र शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया।

बता दें कि मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थलों का केंद्र है। यह इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है और सालाना हज यात्रा का मुख्य केंद्र भी है। हज इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है, जिसे हर साल लाखों मुसलमान करते हैं।

चूहा- सुनती हो, अब 15 अक्टूबर से यूपीआई में 2000 से अधिक व्यापारिक लेनदेन पर शुल्क देना पड़ेगा।

चुहिया- हां जी, डिजीटल लेनदेन का पहले नशा सिखाया गया और अब उसी का दुकान लगाकर कमाएंगे।

बस से की जा रही गांजा की तस्करी मध्यप्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार

बोराई नाके पर बस से 11.33 किलोग्राम गांजा बरामद, 2.32 लाख रुपये से अधिक की सामग्री जब्त

धमतरी, 16 सितम्बर (हाईवे चैनल)। बोराई पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11.33 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी बोराई एवं थाना बोराई स्टाफ द्वारा बैरियर नाका बोराई के पास संदिग्ध वाहनों एवं यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उड़ीसा से धमतरी की ओर आ रही यात्री बस क्रमांक सीजी 04 ईए 2476 को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बस में सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में निखिल वर्मा 26 वर्ष, पिता राजेश वर्मा, निवासी सतवास, मोहित गोदरा 28 वर्ष, पिता प्रेमनारायण, निवासी गोलागुठान, थाना सतवास जिला देवास (म.प्र.) शामिल है। आरोपियों से 11.33 किलोग्राम गांजा अनुमानित कीमत 2,20,000 रूपये, 2 मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 10,000रूपये, नगदी 2350 रूपये, कुल जुमला जब्ती - 2,32,350 रूपये की गई है। आरोपियों के विरुद्ध थाना बोराई में धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है तथा गांजा तस्करी से जुड़े बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं के साथ ईवीएम पर मंथन

रायपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन आज एवं कल नवा रायपुर अटल नगर में चल रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रमेन डेका ने किया। सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया है कि यह सम्मेलन देश के अलग-अलग राज्यों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। इसके पूर्व वर्ष 2014 में भी छत्तीसगढ़ में यह प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन किया गया था। देशभर से विभिन्न राज्यों के पधारे राज्य निर्वाचन आयुक्तगण इस सम्मेलन में स्थानीय लोकतंत्र विशेषकर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगरीय निकायों को और अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय एवं सहभागी बनाने के लिए निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे है।

सम्मेलन में लोकतांत्रिक निर्वाचन विषय से जुड़े प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। अजय सिंह ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद एवं भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु के ईलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के विषय विशेषज्ञ भी सम्मेलन में अपने संस्थानों की अद्यतन तकनीकी जानकारी प्रस्तुत भी किया जाएगा।

रेलवे रिजर्वेशन, बिजली बिल और पेट्रोल पंप पर यूपीआई से 2000 से ज्यादा पेमेंट पर देना पड़ेगा चार्ज

नई दिल्ली, 16 सितंबर (न्यूज चैनल)। सरकार ने यूपीआई से लेनदेन के नियम पर बड़ा बदलाव किया है। 2000 रुपये से कम के लेनदेन पर एमडीआर जीरो रखा गया है। जबकि यूपीआई से 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत चार्ज लगेगा। फीस की मैक्सिमम लिमिट 300 रुपए तक की गई है। इससे 15 अक्टूबर से लागू हो रहे यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए नियमों के बीच डिजिटल भुगतान को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि हालांकि न नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मंगलवार को जारी किए गए सर्कुलर पर नजर डालें, तो सभी पर एक समान एमडीआर लागू नहीं होगा। सरकार ने इसे तमाम कैटेगरी में बांटा है और उसी हिसाब से राहत भी दी है. इनमें पांच यूपीआई पेमेंट कैटेगरी को फ्लैट-रेट- मॉडल के तहत रखा गया है यानी पेमेंट कितना भी हो एक समान चार्ज लागू होगा। देश के करोड़ों लोग रेलवे रिजर्वेशन- बिजली बिल और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के बाद बिल का भुगतान यूपीआई पेमेंट से करते हैं। इससे लोगों को आशंका है कि 2000 से ज्यादा के बिल पर कितना चार्ज देना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुसार रेलवे रिजर्वेशन- बिजली बिल और पेट्रोल पंप पर यूपीआई से पेमेंट करने पर 5 रुपए की फ्लैट फीस देनी होगी। आइए इस नियम को विस्तार से समझते हैं।

CMYK